छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय महानदी भवन::
अटल नगर, जिला– रायपुर 492002

–:: आदेश ::–

नया रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर,2018

क्रमांक एफ 21–02/2012/नौ/55–4 ::: राज्य शासन, एतदद्वारा, छत्तीसगढ़ संचालक चिकित्सा शिक्षा के द्वारा गठित फीस निर्धारण समिति द्वारा निजी जी.एन.एम. प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित जी.एन.एम. पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश हेतु फीस का पुनरीक्षण/निर्धारण कर दिया गया है। समिति द्वारा पुनरीक्षित/निर्धारित शुल्क शासन द्वारा स्वीकार किया जाता है, एवं इस संबंध में यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक लागू किया जाता है।

पुनरीक्षित/निर्धारित शुल्क (शिक्षण शुल्क, विकास शुल्क एवं अन्य शुल्क सहित) निम्नानुसार प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है :–

2/ निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेना अथवा निर्धारित मदों से अन्य मद में शुल्क लेना केपीटेशन शुल्क कहलायेगा एवं दोषी संस्था पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। इस संबंध में निम्नानुसार दिशा–निर्देश दिया जाता है :–

1. निर्धारित अंतिम शुल्क में शिक्षण शुल्क, रू. 45,000/– (रू. पैतालीस हजार मात्र) विकास शुल्क (रू. 300/– प्रति वर्ष) एवं अन्य विविध शुल्क सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी शुल्क देय नहीं है। निर्धारित शुल्क पूरे पाठ्यक्रम अवधि के लिये वही रहेगा, जो प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय निर्धारित है।
2. परीक्षा संस्था द्वारा निर्धारित पंजीयन एवं परीक्षा शुल्क एवं शासन/संचालनालय द्वारा निर्धारित काउंसिलिंग शुल्क पृथक से लिया जा सकता है ।
3. कॉशन मनी रू. 1500/– केवल एक बार (प्रवेश के समय) देय है। जो संस्था छोड़ने पर अथवा पाठ्यक्रम समाप्त होने पर वापसी योग्य है।
4. यदि पाठ्यक्रम एक्रीडिटेड है तो इस हेतु प्रति छात्र प्रतिवर्ष रू. 500/– अतिरिक्त फीस ली जा सकती है।
5. संस्थाओं की अन्य ऐच्छिक सुविधाओं जैसे मेस, बस एवं छात्रावास आदि के लिये वास्तविक व्यय एवं न लाभ न हानि के आधार पर शुल्क ली जा सकती है।
6. निर्धारित अंतिम तिथि तक शुल्क जमा नहीं करने पर संस्था द्वारा छात्र से अधिकतम रू. 25/– प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क लिया जा सकता है। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि परीक्षा संस्था द्वारा निर्धारित सेमेस्टर के प्रारंभ होने की तिथि से 15 दिवस के अंदर निर्धारित नहीं की जा सकती। विलंब शुल्क द्वितीय एवं उच्चतर वर्ष में ही देय है।
7. नियमों में प्रावधान न होने पर, संस्था छात्र से अर्थदण्ड/फाईन नहीं ले सकती है। कक्षाओं से अनुपस्थिति के लिये फाइन अथवा अर्थदंड लेने हेतु संस्था अधिकृत नहीं है। कक्षाओं से अनुपस्थिति के संबंध में परीक्षा संस्था के प्रावधानों/निर्देशों के आधार पर ही कार्यवाही की जा सकेगी।
8. एक वर्ष की फीस का तात्पर्य है 12 माह की फीस। निर्धारित फीस केवल प्रवेशित छात्रों के लिए है एवं छात्र अध्ययन जारी रखने तक की अवधि के लिए है। सीट निरस्त कराने पर छात्र के द्वारा जमा किए फीस को संस्था को जब्त करने अथवा अर्थदण्ड (Penalty) लेने का अधिकार नहीं है।
9. विकास शुल्क की संपूर्ण राशि तथा अनिवार्य व्यय के पश्चात शेष रह गई राशि का उपयोग केवल उसी संस्था के विकास के लिये ही व्यय किया जावेगा। इस राशि का अन्य संस्था अथवा अन्य कार्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है।

9. किसी सत्र में प्रवेशित छात्रों के लिये पूर्व में ली गई शुल्क एवं निर्धारित अंतिम शुल्क में अंतर की राशि छात्र द्वारा/संस्था द्वारा जैसा भी प्रकरण हो संस्था को/छात्र को वापस

DNS/Nursing_Order

कार्यालय संचालक चिकित्सा शिक्षा
आवक क्र. 2149
दिनांक 15/11/18

Scanned by CamScanner

देय होगा। इसका तात्पर्य यह है कि यदि संस्था द्वारा सत्र 2016-17 एवं 2017-18 में निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लिया गया है उस दशा में शुल्क के अंतर की राशि संस्था द्वारा छात्र को किसी बैंक के माध्यम से (चेक, डिमाण्ड ड्राफ्ट आदि के रूप में) वापस की जावे। यदि निर्धारित शुल्क से कम लिया है तो शेष राशि संस्था द्वारा छात्र से प्राप्त की जा सकेगी। संस्थाएं चाहें तो फीस माफ कर सकती है।

11. संस्थाओं द्वारा प्रवेश के समय छात्र से स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, माइग्रेशन, चरित्र, आय, प्रमाण पत्र के अतिरिक्त और कोई भी मूल प्रमाण पत्र (10 वी., 12वी, निवासी एवं जाति के मूल प्रमाण पत्र आदि) जमा नहीं करवाया जाना है। केवल प्रमाण-पत्रों के सत्यापन हेतु उसका अवलोकन किया जा सकता है।
12. निर्धारित अंतिम शुल्क उच्चतम है, यदि कोई संस्था चाहे तो इससे कम शुल्क ले सकती है।
13. उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करने वाली संस्था पर अधिनियम के प्रावधानों अनुसार कार्यवाही की जावेगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं संस्था की होगी।

(के.के.मोटवानी)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ 21-02/2012/नौ/55-4 नया रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2018

प्रतिलिपि :-

1. महामहिम राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर।
2. माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
4. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा, रायपुर।
5. मुख्य सचिव के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग।
7. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय।
8. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर।
9. संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, रायपुर।
10. रजिस्ट्रार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर (छ.ग.)।
11. रजिस्ट्रार, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
12. रजिस्ट्रार, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय कोनी, बिलासपुर।
13. रजिस्ट्रार, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर।
14. रजिस्ट्रार, सरगुजा विश्वविद्यालय, अंबिकापुर।
15. समस्त संबंधित नर्सिंग महाविद्यालय

की ओर पालनार्थ प्रेषित।

16. जनसंपर्क अधिकारी, जनसंपर्क विभाग, रायपुर मीडिया में प्रकाशनार्थ एवं प्रचार प्रसार हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

17. स्टाक फाईल।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

DNS/Nursing_Order

Scanned by CamScanner